भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 990

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

तमिलनाडु को उर्वरकों की आपूर्ति

990. डॉ.टी.सुमति तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खरीफ और रबी फसलों के लिए तमिलनाडु को यूरिया और एनपीके उर्वरकों की कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई है;
(ख) क्या राज्य की मांग की तुलना में इसमें कोई कमी आई है;
(ग) क्या केंद्र ने तमिलनाडु द्वारा चक्रवात प्रभावित जिलों में अतिरिक्त राजसहायता और शीघ्र प्रेषण के लिए बार-बार किए गए अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यूरिया और डीएपी के मूल्य विनियमन की वर्तमान स्थिति क्या है और विगत एक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में छोटी जोत वाले किसानों पर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ड.) क्या राज्य में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के अन्यत्र उपयोग अथवा कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): खरीफ 2024 तथा रबी 2024-25 मौसमों के दौरान तमिलनाडु राज्य में यूरिया और एनपीकेएस उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। तमिलनाडु राज्य में खरीफ 2024 तथा रबी 2024-25 मौसमों के दौरान यूरिया और एनपीकेएस उर्वरकों की मांग, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, वर्तमान में किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी

का एमआरपी 242 रुपए (नीम कोटिंग के प्रभार और यथा लागू कर को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें पोषक-तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। एनबीएस स्कीम के तहत, उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार वहनीय स्तर पर एमआरपी निर्धारित करती है, जिसकी सरकार द्वारा निगरानी की जाती है।

तदनुसार, तमिलनाडु सहित देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया और डीएपी की आपूर्ति की जाती है।

(ङ.) उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। उर्वरकों की कालाबाजारी और विपथन को रोकने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उर्वरकों की कालाबाजारी और विपथन में संलिप्त किसी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एफसीओ के अंतर्गत राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे उत्पादकों से लेकर थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और अंततः किसानों तक सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं। उर्वरकों के विपथन और कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने के लिए शीर्ष 40 यूरिया खरीदारों आदि के विरुद्ध नियमित जिला स्तरीय दस्ता निरीक्षण किए जाते हैं और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो एफसीओ 1985 के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है।

****

यह अनुलग्नक दिनांक 25.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.990 के उत्तर से संबंधित है।

अनुलग्नक

तमिलनाडु					
रबी 2024-25 के दौरान उर्वरकों की स्थिति					
आंकड़े एलएमटी में					
क्रम.सं.	उत्पाद	रबी 2024-25 के दौरान			
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक
1	यूरिया	6.00	8.18	6.49	1.70
2	एनपीकेएस	6.00	6.62	4.95	1.70
खरीफ 2024 के दौरान उर्वरकों की स्थिति					
आंकड़े एलएमटी में					
क्रम.सं.	उत्पाद	खरीफ 2024 के दौरान			
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक
1	यूरिया	4.91	6.35	4.43	1.93
2	एनपीकेएस	4.54	5.57	3.54	2.03

1. आंकड़े आईएफएमएस के अनुसार